

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-17-10-2024

संचिका सं०-14/विविध-22/2022 2656 (14) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तु में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2008" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) यह नियमावली "बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।  
(2) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।
- "बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2008" के नियम-2 (ग) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	प्रावधानित	एतद द्वारा प्रतिस्थापित
1	2	3
(i)	नियम-2(ग) "विशेषज्ञ चिकित्सक" से अभिप्रेत है सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापक या समकक्ष जिनके द्वारा अनुशंसा की गयी हो परन्तु हृदय रोग के मामले में इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेंगे।"	नियम-2(ग) "विशेषज्ञ चिकित्सक" से अभिप्रेत है सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल/इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान के संबंधित विभाग (हृदय रोग विभाग सहित) के प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक और निदेशक/संयुक्त निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान (केवल हृदय रोगों के मामलों में), पटना या समकक्ष जिनके द्वारा अनुशंसा की गयी हो, विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-  
(आदित्य प्रकाश)  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक -14/विविध-22/2022 2656 (14) /स्वा०, पटना, दिनांक- 17-10-2024

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को (सी०डी० सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि- सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 01.10.2024 की बैठक के मद संख्या-26 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका सं०-14/विविध-22/2022.....<sup>2657(14)</sup> पटना, दिनांक- <sup>17-10-2024</sup>

अधिसूचना संख्या-<sup>2656(14)</sup> दिनांक- <sup>17-10-2024</sup> का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/—  
(आदित्य प्रकाश)  
सरकार के अपर सचिव।

**Bihar Government**  
**Health Department**

Notification

File No. 14/Miscellaneous-22/2022.....<sup>2657(14)</sup> Patna, Dated-<sup>17-10-2024</sup>

In exercise of the powers conferred by Proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules to amend "The Honourable Members/Former Members of Bihar Legislature, Medical Care Rules, 2008" :-

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called as "The Honourable Member/Former Member of Bihar Legislature (Amendment) Medical Care Rules, 2024."

(2) This notification will be effective from the date of issue.

2. Rule 2 (c) of "The Honourable Member/Former Member of Bihar Legislature Medical Care Rules, 2008" will be replaced as follows: -

Sl. No.	Provisioned	Replaced by
(i)	Rule-2 (c) "Specialist Doctor" means the Professor or equivalent of the Government Medical College and Hospital/Indira Gandhi Institute of Medical Sciences by whom the recommendation has been given but in case of heart disease, the Director of Indira Gandhi Institute of Cardiology will be considered as the specialist doctor."	Rule-2 (c) "Specialist Doctor" means the Professor/Associate Professor of the concerned department (including Cardiology) of the Government Medical College, Hospital/Indira Gandhi Institute of Medical Sciences and Director/Joint Director, IGIC (only in cases of Heart diseases), Patna or equivalent by whom the recommendation has been given will be considered as specialist doctor."

By the order of the Governor of Bihar,

Sd/-

**(Aditya Prakash)**

Additional Secretary to the Government.

**Memo No. : 14/ Miscellaneous-22/2022.2657(14) Patna, dated- 17-10-2024**

**Copy to:** Officer-in-Charge, e-Gazette, Finance Department, Bihar, Patna/Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna (with CD) for information and necessary action.

**Copy to:** Accountant General (A&E), Bihar, Patna/Officer-in-Charge, Finance (P.C.F.C) Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

**Copy to:** Secretary, Bihar Legislative Assembly/Bihar Legislative Council for information and necessary action.

**Copy to:** Secretary, Parliamentary Affairs Department, Bihar, Patna for information and necessary action.


**Copy to:** Chief Secretary, Bihar/Chief Minister's Secretariat, Bihar, Patna/Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, All Departments, Bihar, Patna/All Divisional Commissioners/All District Magistrates, Bihar/All Director-in-chief, Health Services, Bihar, Patna/All Superintendents, Medical Colleges & Hospitals,

::3::

Bihar/All Principals, Medical Colleges, Bihar/All Regional Additional Directors, Health Services, Bihar/All Civil Surgeons, Bihar/Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/All Directors, Super Specialty Hospitals, Bihar for information and necessary action.

**Copy to:** Cabinet Secretariat Department, Bihar, Patna for information in reference to item number-26 of the meeting of the Council of Ministers dated 01.10.2024.

**Copy to:** IT Manager, Health Department, Bihar, Patna for information to upload on departmental website.

  
17/10/2024  
**Additional Secretary to the Government.**

12